UPBJ010052042026

न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी–(संजय कुमार–VII), (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP1997

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः–1873/2026

इब्राहिम बनाम उ0प्र0 सरकार

आवेदक की ओर से श्री सुहेब आलम एडवोकेट,

राज्य की ओर से श्री वरूण कुमार राजपूत, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)।

दिनांकः–30–06–2026

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **इब्राहिम** पुत्र अशफाक की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों व केस डायरी का अवलोकन किया।

यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–343/2018, धारा–323,324,325,452,147,148,504,506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना चांदपुर, जिला बिजनौर के प्रकरण में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया कि उसे उपरोक्त मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक विलंब से लिखायी गयी है। प्रार्थी के विरूद्ध कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी को सम्बन्धित पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की सम्भावना है। अतः प्रार्थी द्वारा दौरान मुकदमा अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर एक राय होकर दिनांक 16.05.2018 को समय करीब 06:30 बजे अपने हाथों में धारदार हथियार, फावड़ा व कुदाल लेकर वादी सद्दीक के घर में घुसकर फरमान, मुमताज, सन्नवर व गुलफशा व वादी के परिवार के अन्य लोगों के साथ मारपीट करके चोटें पहुंचाने, गालियां देने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।

उपरोक्त मामला वर्ष 2018 की घटना से संबंधित है तथा उपरोक्त मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से पंजीकृत करायी गयी है। उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय तथा अधिकतम सात वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है। अभियुक्तगण द्वारा की गयी कथित मारपीट से चोटिल फरमान, मुमताज, तसव्वर व सनव्वर, के आयी सभी चोटें साधारण प्रकृति की होना पायी गयी हैं तथा चोटिल हसीनुद्दीन व गुलफ्शा की चोट को अंगुली में फ्रेक्चर होने के आधार पर गंभीर बताया गया है। उपरोक्त मामले में न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण का पूर्व आपराधिक इतिहास भी नहीं बताया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था–**सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन आदि 2022(3) क्राइम्स 290 (एस0सी0)** में दिये गये

विधिक सिद्धांतों के प्रकाश में व प्रकरण के तथ्यों एवं प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक को **पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये** के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो–दो प्रतिभू निम्न शर्तों के अधीन दाखिल करने पर संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाये–

1– अभियुक्तगण मामले से संबंधित किसी भी साक्षी को डरायेंगे व धमकायेंगे नहीं।

2– अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देंगे।

3– आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

4– अभियुक्तगण न्यायालय में आरोप विरचन की तिथि, बयान धारा–313 दं0प्र0सं0/351 बी0एन0एस0एस0 के स्तर पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।

यदि आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त वर्णित शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो संबंधित न्यायालय/विवेचक अभियुक्तगण को दी गई अग्रिम जमानत को निरस्त करने के लिये स्वतन्त्र होंगे।

(संजय कुमार–VII)
सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।
30.06.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.06.30 16:44:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court